न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : अशोक कुमार ,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 11/2023

जी.सी.एम.एस.संख्या :– 2023/21

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
केसाराम पुत्र सोनाराम जाति पालीवाल निवासी बिठूजा तहसील–पचपदरा व जिला बालोतरा		1.रोशनलाल पुत्र राणमल 2.भूपतराज पुत्र राणमल जाति महाजन 3.श्रीमती रामकिशोरी पत्नी श्यामसुन्दर 4.श्रीमती उषादेवी पत्नी चन्द्रप्रकाश जाति अग्रवाल निवासी मोरमुकुट वाले,अग्रवाल कोलानी बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1.श्री भूपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता प्रार्थी

2.विप्रार्थी एकपक्षीय

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

:आदेश :

दिनांक– 14.11.2024

1. प्रकरण का संक्षिप्त में सारवान तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी केसाराम पुत्र सोनाराम जाति पालीवाल निवासी बिठूजा तहसील–पचपदरा व जिला बालोतरा ने अपने खातेदारी भूमि खसरा संख्या 188 क्षेत्रफल 5.6170 हैक्टयर मौजा होटलू तहसील पचपदरा में कृषि कार्य हेतु आवागमन के लिए विप्रार्थी संख्या 1 व 2 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 702/195 एवं विप्रार्थी संख्या 3 व 4 की खातेदारी खसरा संख्या 196 में से परिशिष्ट अ में दर्शित मार्क ए से सी 30 फीट चौड़ा रास्ता कायम करने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया हैं तथा संलग्न नक्शानुसार रास्ता नजदीक सरल एवं एकमात्र विकल्प होने के कारण प्रार्थी के खातेदारी जोत तक कृषि कार्य आवागमन हेतु उक्तानुसार सार्वजनिक रास्ता घोषित करने का निवेदन किया हैं।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

2. प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी के रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार पचपदरा ने निर्धारित प्रारूप में मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की,जो शामिल मिसल है।

3. तत्पश्चात् प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। विद्वान प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी के आवेदन–पत्र के संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ' में दर्शित मार्क ए से सी तक यानि विप्रार्थी संख्या 1 व 2 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 702/195 व विप्रार्थी संख्या 3 व 4 की खातेदारी खसरा संख्या 196 भूमि में से 30 फीट बंरग लाल चौड़ा रास्ता आवागमन एवं कृषि उपयोग हेतु रास्ता घोषित किया जावें। उक्त रास्ता नजदीक सरल एवं सुगम रास्ता हैं,प्रार्थी के पास आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता विधमान नहीं है। अंत में निवेदन किया कि तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट अनुसार रास्ता स्वीकृत किया जाता है,तो प्रार्थी को आपति नहीं है। प्रार्थी प्रस्तावित रास्ता की स्वीकृति के बदले क्षतिपूर्ति राशि जमा करवानें के लिए सहमत है।

4. हमनें प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं मौका जांच रिपोर्ट का गहनतापूर्वक अवलोकन कियाा तथा सुसंगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। जिसमें पाया कि प्रार्थी की खातेदारी खसरा संख्या 188 के लिए विप्रार्थी की खातेदारी खसरा संख्या 702/195 व खसरा संख्या 196 में से बरंग लाल में दर्शित रास्ता प्रस्तावित किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ता को स्वीकृत करने का अनुतोष चाहा गया है,जिसे साबित करने का भार प्रार्थी पक्ष पर है।

5. हस्तगत प्रकरण के विचारण एवं निर्णयन हेतु हम धारा 251–क,राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में संक्षिप्त जांच के संबध में वर्णित प्रावधान का उल्लेख करना आवश्यक समझतें है,जिसके अनुसारः–

i. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं हैं; और

ii. अन्य खातेदार की जोत में से होकर,विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में,पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है–

तो आदेश द्वारा,आवेदक को,अभिधारी,जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है,दर्शाया जाये,भूमि में से होकर,और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए,उस अभिधारी को,जो उस भूमि को धारित करता है,जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजुर किया जाये,ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये,अनुज्ञात कर सकेगा।

उक्त वर्णित प्रावधान से स्पष्ट है,कि प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता हो तथा वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध होने पर नया रास्ता बनाने हेतु अनुज्ञात किया जा सकेगा। पत्रावली के संलग्न मौका रिपोर्ट अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा जिन खसरान से रास्ता चाहा जा रहा है। उक्त खसरान से पूर्व में खसरा संख्या 197 के खातेदारान को रास्ता दिया जा चुका है रिकॉर्ड में कटान भी है तथा उन्ही खसरान से भी प्रार्थी द्वारा रास्ता दिए जाने का अनुतोष चाहा गया है,जो कि स्वीकार योग्य नहीं है,क्योकि विप्रार्थी की खातेदारी भूमि खुर्द–बुर्द होने की संभावना रहेगी। रिपोर्ट में यही भी स्पष्ट है कि रेल्वे लाईन के सहारे मौके पर वर्तमान मे आवागमन हेतु रास्ता मौजूद है,जो प्रार्थी का खेत रेल्वे लाईन से जुड़ता हुआ है। इस प्रकार यह प्रमाणित हो चुका है कि प्रार्थी केवलमात्र अपनी सुविधा के लिए रास्ता की मांग कर रहा है,जो कि कानून में निहित प्रावधानो के तहत प्रार्थी को अपनी सुविधा के लिए रास्ता दिया नहीं जा सकता है। इस प्रकार प्रार्थी यह सिद्व नहीं कर पाया है कि उसे रास्ता की आत्यंतिक आवश्यकता है। साथ ही प्रार्थी यह भी साबित नहीं कर पाया है कि वैकल्पिक साधन का अभाव हो,क्योकि प्रार्थी के लिए वैकल्पिक रास्ता मौके पर मौजूद है। उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है कि प्रार्थी का आवेदन–पत्र स्वीकार योग्य नहीं है।

आदेश :–

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर लेख्य भंडार हो।

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 14.11.2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

14/11/24

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा